# <u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, भरतपुर (राज.)</u>

**पीठासीन अधिकारी : बलजीत सिंह, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

**जमानत प्रार्थनापत्र संख्या : 158/2026 (CIS No.172/2026)**

श्रीमती बबीता पत्नी श्री स्वरूप सिंह निवासी ग्राम चक एकटा पुलिस थाना सेवर तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

----- आरोपिया/प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, भरतपुर (राज.)

-----अभियोगी

प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, एफ.आई.आर. संख्या 663/2025 पुलिस थाना सेवर, अपराध अंतर्गत धारा 316(2), 318(4) भारतीय न्याय संहिता

-----

**<u>उपस्थिति</u> :-**

1. श्री आशीष शर्मा, विद्वान् अधिवक्ता, आरोपिया/प्रार्थीया।
2. श्री नरेश चन्द, विद्वान् लोक अभियोजक, जरिये राजस्थान राज्य।

**<u>आ दे श</u>** **दिनांक : <u>27.03.2026</u>**

1. आरोपिया/प्रार्थीया श्रीमती बबीता की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र पेश किए जाने पर नकल प्रार्थनापत्र विद्वान् लोक अभियोजक को दिलाई गई एवं केस डायरी तलब की गई।

2. आरोपिया/प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि आरोपिया/प्रार्थीया को इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। परिवादी द्वारा आरोपिया के साथ धोखा कर बलदेव गुर्जर के जरिये अपने पक्ष में इसके मकान का बयनामा करवा लिया और जो 15 लाख रूपये आरोपिया/प्रार्थीया को दिये थे, उक्त पूरी राशि उसने आरोपिया/प्रार्थीया के खाते से निकलवा ली है। प्रार्थीया के पति द्वारा उक्त बयनामे से पूर्व प्रार्थीया के साथ उक्त मकान को खरीद करने हेतु इकरारनामा किया हुआ था, उक्त इकरारनामे के आधार पर बयनामा निष्पादित करवाने हेतु उसने अपने अधिवक्ता के जरिये प्रार्थीया को नोटिस दिलवाया और प्रार्थीया को नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् उसने विधिक प्रक्रिया से चलते हुए विवादित मकान का बयनामा अपने पति स्वरूप सिंह के नाम करवा दिया। आरोपिया/प्रार्थीया द्वारा परिवादी अजयसिंह के साथ कोई छल-कपट या बेईमानी नहीं की है। आरोपिया/प्रार्थीया दिनांक 18.03.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में चल रही है, उससे कोई बरामदगी होना शेष नहीं है। आरोपिया/प्रार्थीया का पूर्व का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। आरोपिया/प्रार्थीया न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों

की पालना करने को तैयार एवं तत्पर है। आरोपिया/प्रार्थीया एक महिला है। आरोपिया/प्रार्थीया को इतने लम्बे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने से किसी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आरोपिया/प्रार्थीया को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया एवं तर्क दिया गया कि आरोपिया/प्रार्थीया द्वारा धोखाधडी करने के आशय से अपने मकान का बयनामा पहले परिवादी के साथ 15 लाख रूपये प्राप्त कर किया और फिर पुनः उसी मकान का बयनामा अपने पति के नाम कर दिया है । आरोपिया द्वारा परिवादी के 15 लाख रूपये हडप कर लिये हैं। उससे उक्त 15 लाख रूपये की राशि की बरामदगी करवायी जानी है इसलिए आरोपिया/प्रार्थीया का जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। आरोपिया/प्रार्थीया का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार हैः-

| क्र.सं. | एफआईआर संख्या | पुलिस थाना | अपराध धारा | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| | | निल | | |

4. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 13.12.2025 को परिवादी अजय सिंह ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना सेवर पर जरिये न्यायालय इस्तगासा इस आशय की दर्ज कराई कि परिवादी ने एक मकान दो मंजिला वाके गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर में मुलजिम सं० 1 से दिनांक 05.07.25 को 15 लाख रूपये में खरीदा था, जिसका बयनामा मुस्तगीस को कराया था। मुलजिमा द्वारा छलकपट और धोखाधडी करने के उद्देश्य से उक्त मकान का अपने पति मुलजिम रामस्वरूप को बेईमानीपूर्वक दिनांक 29.09.2025 को बयनामा करवा दिया । जब मुस्तगीस ने अपने खरीदे हुए मकान पर दिनांक 27.11.25 को जाकर देखा तो मुलजिम रामस्वरूप ने कहा कि इस मकान का बयनामा उसकी पत्नी ने उसे करा दिया है और अब इस मकान का मालिक सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर है । मुलजिम बबीता व स्वरूप सिंह ने आपस में मिलकर षडयन्त्रपूर्वक धोखाधडी करने के उद्देश्य से मुस्तगीस से 15 लाख रूपये और मकान का दूसरा बयनामा अपने पति को करवाकर रूपयों को प्राप्त कर लिया है ............इत्यादि । उक्त रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 663/2025 दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया। अब तक के अनुसंधान से आरोपिया/प्रार्थीया के विरूद्ध धारा 316(2), 318(4) भारतीय न्याय संहिता का आरोप प्रमाणित पाया गया है ।

5. बहस पर मनन किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपिया/प्रार्थीया के विरूद्ध षडयन्त्रपूर्वक छल कपट एवं बेईमानी करते हुए परिवादी को बेचे गये मकान का बयनामा पुनः अपने पति स्वरूप सिंह के नाम करवाने के आरोप हैं। आरोपिया के विरूद्ध धारा 316(2), 318(4) भारतीय

न्याय संहिता का आरोप प्रमाणित पाया गया है। आरोपिया/प्रार्थीया के विरूद्ध पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। आरोपिया/प्रार्थीया दिनांक 18.03.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में चल रही है। आरोपिया/प्रार्थीया से किसी प्रकार की कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आरोपिया महिला है। इसलिए प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना आरोपिया/प्रार्थीया को सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. परिणामतः आरोपिया/प्रार्थीया श्रीमती बबीता पत्नी श्री स्वरूप सिंह निवासी ग्राम चक एकटा पुलिस थाना सेवर तहसील व जिला भरतपुर (राज.) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि आरोपिया/प्रार्थीया की ओर से 1,00,000/-(अक्षरे एक लाख) रुपये की राशि का स्वयं का बंधपत्र एवं 50,000-50,000/-(अक्षरे पचास-पचास हजार) रुपये की राशि की दो जमानतें विचारण न्यायालय के संतोषप्रद व समाधानप्रद इस शर्त के साथ पेश कर तस्दीक करा दी जावें कि आरोपिया अनुसंधान में सहयोग करेगी एवं न्यायालय की आज्ञा के बिना देश छोडकर नहीं जायेगी तो आरोपिया/प्रार्थीया अन्य किसी प्रकरण में वांछित न होने पर इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

7. आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भिजवायी जावे ।

(बलजीत सिंह)
सेशन न्यायाधीश
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(बलजीत सिंह)
सेशन न्यायाधीश
भरतपुर